प्रेस नोट

दिनांक 26.11.2024

थाना को० नगर, को०देहात पुलिस व एसओजी/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ के उपरांत 04 शातिर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश गोली लगने से घायल। कई घटनाओं का हुआ खुलासा, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 स्कॉर्पियो, 01 अपाची मोटरसाइकिल सहित लूटे हुए 02 मोबाइल फोन, 25500/- रुपए नगद व अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद -

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के प्रवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0नगर/देहात पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0-896/24, धारा 309(4), 115(2), 352, 351 बी0एन0एस0 थाना को0नगर, मु0अ0स0 497/24 धारा 309(4) बी0एन0एस0 थाना को0देहात व मु0अ0स0 271/2024 धारा 392 भादवि थाना परसपुर से सम्बन्धित घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 01 शातिर लूटेरा 01. अभिनव सिंह उर्फ रौनक पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार समेंत अन्य 03 अभियुक्तों 02. आकाश सिंह, 03. ऋषभ सिंह, 04. आदर्श पाण्डेय को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 25,500/- रूपये नगद, 02 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कार्पियों कार, 01 अदद अपाची मोटरसाइकिल, 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री अभिमन्यु तिवारी पुत्र स्व0 धर्मचन्द्र तिवारी निवासी रूदौली जनपद अयोध्या द्वारा थाना कोतवाली नगर को सूचना दी कि वह दिनांक 24.11.2024 शुक्ला मेडिकल स्टोर, शुक्लपुरवा कटहाघाट रोड़ से दवा लेकर वापस जा रहा था कि रास्ते में एक काले रंग की स्कार्पियों कार पर सवार करीब 3-4 लोग उत्सव मैरिज हाल का रास्ता पूछते हुए उसे कार के अन्दर खीचकर मार पीट करते हुए उसके जेब से 2000/- रूपये नगद, 01 एंड्रॉयड मोबाइल फोन लूट लिया। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 896/2024 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के जल्द से जल्द अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलास सहित कुल 10 टीमों का गठन कर सभी महत्त्वपूर्ण रास्तों पर चेकिंग कराई गई। गठित टीमों द्वारा आज दिनांक 26.11.2024 को समय 3.30 बजे घटना के सफल अनावरण के क्रम में कटहाघाट रोड बहदग्राम बनवरिया मोड़ के पास संदिग्ध आरोपियों को घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया जिसमें बदमाशों द्वारा स्वयं को घिरता हुआ पाकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश 01. अभिनव सिंह उर्फ रौनक को गोली लगने से घायल/गिरफ्तार समेत अन्य 03 अभियुक्तों 01. आकाश सिंह, 02. ऋषभ सिंह, 03. आदर्श पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा घायल अभियुक्त अभिनव सिंह उर्फ रौनक को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल गोण्डा भेजा गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 25,500/- रूपये नगद, 02 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कार्पियों कार, 01 अदद अपाची मोटरसाइकिल, 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाकर लूट की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं। दिनांक 24.11.2024 की रात्रि पूरे-शिवाबख्तावर के पास एक व्यक्ति से पता पूछने के बहाने पैसे, मोबाइल व चैन लूट लिए थे तथा उसी दिन जयपुरिया

स्कूल से पहले एक व्यक्ति को स्कार्पियों कार में जबरजस्ती बैठाकर उससे नगदी रूपये व मोबाइल फोन लूट लिए थे तथा इन्ही गिरोह के सदस्यों द्वारा करीब 5-6 माह पूर्व अपाची मोटरसाइकिल से थाना परसपुर क्षेत्र के चरसड़ी चौराहे के आगे भौरीगंज के पास रास्ते पूछने के बहाने एक मोटरसाइकिल पर सवार सोनार को रोक कर तमंचा दिखाते हुए बैग छीनकर फरार हो गये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर, को0 देहात व परसपुर में अभियोग पंजीकृत था। इन लूटेरो द्वारा लूटी हई समाग्री को नेपाल में ले जाकर बेच देते है और प्राप्त पैसे को आपस में बाँट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अभिनव उर्फ रौनक सिंह पुत्र राकेश प्रताप सिंह निवासी नन्दौर पस्का थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. आकाश सिंह पुत्र विरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी नन्दौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. ऋषभ सिंह पुत्र त्रिवेनी सिंह निवासी न्यू मेवतियान थाना कोतवाली नगर, गोण्डा।
04. आदर्श पाण्डेय पुत्र शिव प्रसाद पाण्डेय निवासी परसोहना डीहा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 896/24, धारा 309(4),115(2),352,351(3),317(2) बीएनएस थाना-को0नगर, जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0- 497/24 धारा 309(4), 317 बीएनएस थाना को0देहात, जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0स0- 271/24 धारा 392, 411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 897/24, धारा 109, 319(2) भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद स्कार्पियों UP32PL8094
02. 01 अदद अपाची मोटरसाइकिल UP43BC6186
03. 01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 अदद खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
04. लूट की 25,500/- रूपये नगद।
05. लूट की 02 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. श्री मनोज कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर गोण्डा।
02. श्री संजय कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात, गोण्डा।
03. श्री शादाब आलम प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस जनपद गोण्डा।
04. श्री बिपुल कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी बडगाँव, जनपद गोण्डा।,
04. हे0का0 पंकज सिंह
05. हे0का0 महेन्द्र यादव
06. हे0का0 लोकेश नागर
07. हे0का0 अमित पाठक
08. का0 आदित्य पाल

आपराधिक इतिहास अभिनव उर्फ रौनक सिंह पत्र राकेश प्रताप सिंह।

01- मु0अ0स0-99/23, धारा 323,504,506 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>आपराधिक इतिहास ऋषभ सिंह पुत्र त्रिवेनी सिंह।</u>

01- मु0अ0स0-99/23, धारा 323,504,506 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 26.11.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामूहिक रुप से संविधान की प्रस्तावना का कराया पाठ, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की दिलाई शपथ–

गोण्डा। आज दिनांक 26.11.2024 को पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल ने संविधान दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामूहिक रुप से संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया गया व राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई। महोदय ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि 26 नवंबर 1949 का दिन आजाद भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया गया। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसी तरह अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा पुलिस कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामूहिक रुप से संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया गया व राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलायी तथा जनपद के समस्त कार्यालयों व थानों/चौकियों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया गया व राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलायी गयी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 26.11.2024</u>

<u>यातायात माह नवम्बर–2024 के दृष्टिगत पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा यातायात बूथ गुरूनानक चौक पर आर्थिक रूप से कमजोर दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट भेंट कर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व यातायात नियमो का पालन करने हेतु किया गया संकल्पित–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 26.11.2024 को यातायात माह नवम्बर–2024 के दृष्टिगत पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायासवाल द्वारा यातायात बूथ गुरूनानक चौक पर आर्थिक रूप से कमजोर दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट भेंटकर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व यातायात नियमो का पालन करने हेतु जागरूक किया गया साथ ही उन्हें संकल्प दिलाया गया कि वो भविष्य में दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करेंगे। महोदय द्वारा उपस्थित सभी लोगो को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि हेलमेट पहनने से सड़क दुर्घटना के दौरान मस्तिष्क/सिर में गंभीर चोटे आने से बचा जा सकता है। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व यातायात नियमो का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकती है।

महोदय द्वारा यातायात प्रभारी/वाहन चालको को यातायात नियमों के पालन कराने/करने का संदेश दिया गया–

01. दो पहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी द्वारा हेलमेट का प्रयोग करना अनिवार्य है।
02. नाबालिग बच्चो का वाहन चलाना वर्जित है।
03. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/इयरफोन का प्रयोग न करे।
04. चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करे।
05. गाडियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना नियम विरूद्ध है।
06. निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
07. दायें या बायें मुड़ते समय हमेशा इंडिकेटर का प्रयोग करे।
08. वाहन चलाते समय सड़क पर स्टंट न करे।
09. वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करे।
10. वाहनों पर आगे व पीछे दोनो साइड निर्धारित रिफ्लेक्टर टेप लगाकर चले।
11. एम्बुलेंस एवं फायर वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों को जाने हेतु रास्ता पहले प्रदान करे।
12. नशे/मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन न चलाये।
13. सड़क पर दुर्घटना होने पर घायल व्यक्तियों की मदद करे तथा 112 को सूचित करे।

<u>यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। यातायात नियमों का पालन कर अपने आपको तथा अपनों को सुरक्षित रखें।</u>

<u>इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूवी श्री मनोज कुमार रावत, प्रभारी निरीक्षक को0नगर श्री मनोज कुमार पाठक, यातायात प्रभारी श्री जगदम्बा गुप्ता सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।</u>

<u>मीडिया सेल गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 26.11.2024

बाल श्रम की रोकथाम हेतु संचालित दुकानों और होटलों की चेकिंग की गयी, दुकानदारों से वार्ता कर बाल श्रम की रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे में कराया गया अवगत–

आज दिनांक 26.11.2024 को शासन द्वारा बाल और किशोर श्रम मुक्त अभियान, मानव तस्करी और तस्करी प्रवासी, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशानुसार एवं नोडल अधिकारी श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के कुशलं मार्गदर्शन में थाना एएचटी टीम द्वारा थाना खरगूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लहदोवा, लोनावा दरगाह में जनता को जागरूक करते हुए विदेश मंत्रालय के ई–माइग्रेट प्रोजेक्ट के पोर्टल पर एजेंटों के पंजीकरण, विदेशों में नौकरी के अवसर, कल्याणकारी योजनाओं सहित आवश्यक सहायता हेतु उपलब्ध कराये गये नम्बरों जिनका उपयोग विदेश जाने वाले इच्छुक व्यक्तियों द्वारा सही व सटीक जानकारी हेतु व अवैध एजेंटों के खिलाफ समुचित विधिक कार्यवाही एवं जनजागरूकता, पुलिस बल द्वारा अवैध माइग्रेशन (उत्प्रवासन), मानव दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु व्यापक तौर पर कदम उठाने व अवैध या गैर कानुनी एजेंटों पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश से अवगत कराया गया तथा खरगूपुर क्षेत्र अंतर्गत बाजार में संचालित दुकानों, होटलों की चेकिंग की गई। अभियान के दौरान बाल श्रम रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे मे दुकानदारों को अवगत कराया एवं हिदायत दी गई की भविष्य में किसी भी प्रकार के बच्चों से बाल श्रम ना कराये यदि बाल श्रम कराते पकड़े जाते हैं तो थाना ए0एच0टी0 प्रभारी के द्वारा विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसी क्रम में अभियान के दौरान मिशन शक्ति के तहत महिला एवं बच्चों को जागरूक किया गया और महिलाओं को महिला संबंधी अपराधों के बारे में अवगत कराया गया।
इस दौरान थाना ए0एच0टी0 से प्रभारी नि0 लाल बिहारी, उ0नि0 श्री रामकिशोर प्रसाद, उ0नि0 श्री हरेंद्र प्रसाद, मुख्य आरक्षी गउचरन मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 26.11.2024</u>
<u>मिशन शक्ति अभियान 5.0</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा गांवों में चौपाल लगाकर बालिकाओं/महिलाओं की समस्याओं का किया जा रहा निस्तारण–</u>

<u>महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में किया गया जागरूक–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र के अन्तर्गत थानों पर गठित एण्टीरोमियो टीम व बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांवो व स्कूलों में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण कराने के सम्बन्ध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है तथा रैली निकालकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन आदि अधिकारो के प्रति महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार–बार नहीं आना पडेगा अपितु शक्ति दीदी नियमित अन्तराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवो में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर निराकरण कराया जाएगा।

आज दिनांक 25–11–2024 को जनपद के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारीगण (शक्ति दीदी) द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया तथा बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से गुड टच–बैड टच की जानकारी दी गई। बच्चों को पढ़ने तथा स्कूल आने के लिए प्रेरित किया गया तथा बच्चों से स्कूल जाने पर रास्ते में किसी प्रकार की समस्या होने के बारे में पूछा गया तो बच्चो द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या नहीं प्रकट की गई। बच्चो को बताया गया कि किसी अनजान व्यक्ति के बुलाने या बहकावे में न आए न ही कोई खाने पीने की वस्तु ले तथा बच्चों को चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर–1098 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा महिलाओं एवम बालिकाओं/बच्चों के प्रति हो रहे अपराधो जैसे छेड़छाड़/शोषण, बाल अपराध, एसिड अटैक, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पीड़न इत्यादि की रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी किए गए सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन नंबरों– 1090,181,102, 108,1076, 1098,1930 साइबर अपराध के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>